

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0वी0पी0/2024/ 2139

दिनांक :- 20/08/2024

निमित्त :

✓ श्री गिरिज प्रसाद पुत्र श्री बाबूलाल प्रसाद
निवासी :- प्रेमनगर चौराहा Ist,
पूजा साईकिल की गली, कोटा (राज0)।

विषय :- ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनाधी) खसरा नम्बर 112/455, 677/673 ग्राम सोगरिया क्षेत्रफल 19700 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के सम्बन्ध में

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 31/07/2024 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरान्त योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि कोटा विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कोटा विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण कोटा विकास प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (6) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन कोटा विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (7) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राइट आफ वे' दिया जावेगा।
- (8) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें कोटा विकास प्राधिकरण में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित डेन में सुचारु रूप से हो सके।

For SHUBHAM INFRA HOUSING
Auth.



Signature valid

Digitally signed by Kushtal Kumar Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.08.20 10:26:00 IST
Reason: Approved

- (10) नियमानुसार रैरा में पंजीकरण/भूखण्डों के विक्रय की कार्यवाही से पूर्व विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार मौके पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। मौके पर भूमि कम/अधिक अथवा किसी अन्य का कब्जा होने पर भूमि के आकृति/क्षेत्रफल आदि स्वीकृत ले-आउट से भिन्न होने पर यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार संशोधित ले-आउट स्वीकृत/ अन्य कार्यवाही करवाई जानी होगी।
- (11) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं० D-77 से D-85 कुल भूखण्ड 09 क्षेत्रफल 16092 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास कोटा विकास प्राधिकरण में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें।
- (12) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/दिशा-निर्देशों/आदेशों/निर्देशों/मार्गदर्शन आदि के दृष्टिगत यदि किसी नियम की व्याख्या अथवा अन्य के दृष्टिगत कोई शुल्क/राशि देय होती है, तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराई जानी होगी।
- (13) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का कोटा विकास प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (14) समय-समय पर राज्य सरकार एवं कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (15) टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों के समस्त प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
- (16) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।
- (17) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव-....., कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) कोटा विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवं समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चिता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

For SNUBHAM INFRA HOUSING


Auth. Signatory

**सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण**

Signature valid

Digitally signed by Kushtal Kumar
Kothari
Designation: Secretary
Date: 2024.08.20 10:26:00 IST
Reason: Approved

NORTH X BLOCK D
PROPOSED SITE PLAN OF
KHASRA NO-677/673 & 112/455 (PART)
VILLAGE- SOGARIYA, TAHSIL- LADPURA
DISTT. KOTA

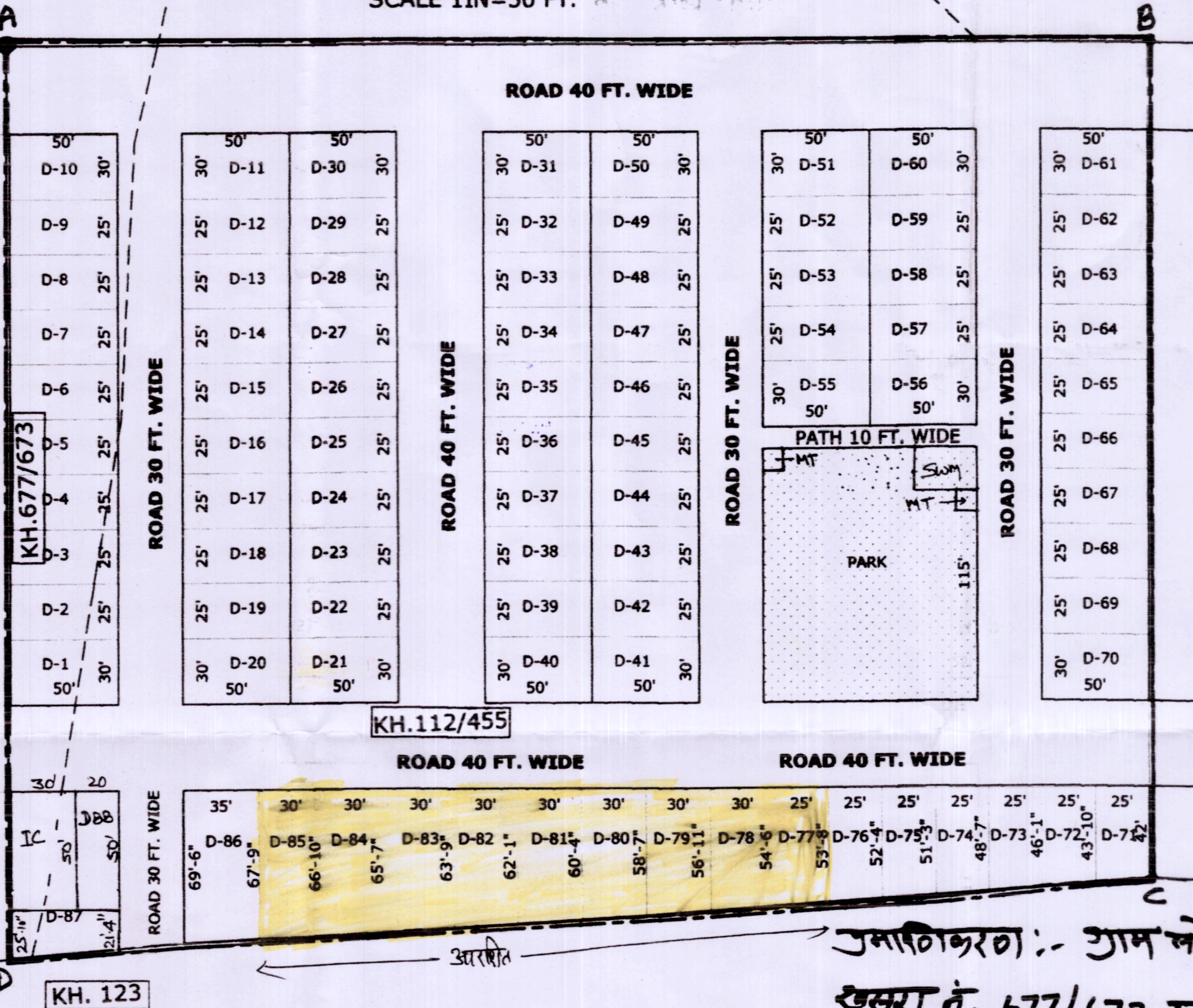


SCALE 1IN=50 FT.

KH. 113

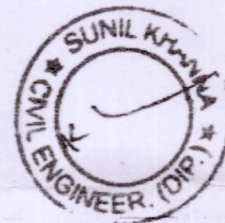
NORTH-X
COLONY

KH.678/673



For SHUBHAM INFRA HOUSING

Signature



04/07/24
महाराज मीना
नहसीलदार
न्यास कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

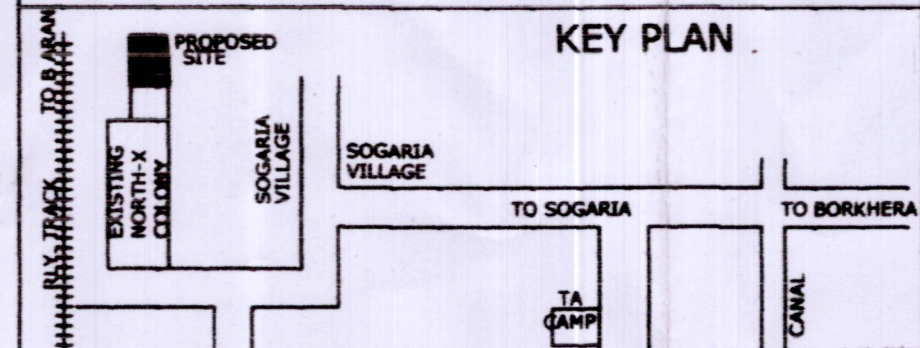
उपस्थित :- ग्राम लोगरिया के
खसरा नं. 677/673 रुकना 0.10 हे.
खसरा नं. 112/455 रुकना 1.87 हे.
है. भूमिका सीमांकन A के उपस्थित
किया गया।

OFFICE USE ONLY

PLOT NO:- 88 NOS.
SIZE :-
AREA OF PLOT:-
AREA OF PLOT:-

IN SQ.FT.
IN SQ.YD.

KHASRA	RAKBA
677/673	0.10
112/455 PART	1.87
TOTAL AREA	1.97 HECT.



ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) खसरा नं 112/455, 677/673 ग्राम सोमरिया क्षेत्रफल 19700 वर्गमीटर (Mark-)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03/07/2024 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

RESIDENCIAL	I.C.	PARK+SW+ MT	ROAD
119565 वर्गफीट	1500 वर्गफीट	11500 वर्गफीट	79407 वर्गफीट
56.41 प्रतिशत	0.70 प्रतिशत	5.43 प्रतिशत	37.46 प्रतिशत
कुल क्षेत्रफल - 211972 वर्गफीट			

- (1) योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं 0 D-77 से D-85 कुल भूखण्ड 09 क्षेत्रफल 16092 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिसे रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन रखे जाने हेतु मॉडेल ड्राइंग संपादित करवाये। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।
- (2) आवेदित भूमि को पूर्व पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना नॉर्व एक्स की 40 फीट चौड़ी सड़क से उपलब्ध है, जिसका यथावत निरंतर रखा जाना होगा।
- (3) आई.सी. ब्लॉक का पूरक से भवन मानचित्र/विस्तृत मानचित्र अनुमोदन कराया जाना होगा।
- (4) टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- (5) योजना में दर्शाए अनुसार पार्क एवं पीडू रखा जाना अपेक्षित है।
- (6) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बावत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीले प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीलों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (7) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77)नविदि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- (8) नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- (9) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

OWNER'S SIGN..